न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** अनूपगढ़, जिला–अनूपगढ़ **(राज.)**
पीठासीन अधिकारी :– सुमित्रा बिश्नोई **आर.ए.एस.**

प्र.सं. **123 / 2023**
जीसीएमएस : **2023 / 363**

1. शंकरलाल पुत्र भंवराराम जाति नायक उम्र 38 वर्ष निवासी चक 15 सी डब्ल्यू बी फुलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. पूर्णराम पुत्र भंवराराम जाति नायक उम्र 37 वर्ष निवासी चक 15 सीडब्ल्यूबी फुलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3. अर्जनराम पुत्र भंवराराम जाति नायक उम्र 35 वर्ष निवासी चक 15 सीडब्ल्यूबी फुलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—— प्रार्थीगण

बनाम्

1. परमी उर्फ परमेश्वरी पत्नी भंवराराम जाति नायक निवासी चक 3 ए तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. तुलसी पुत्री भंवराराम जाति नायक निवासी 3 ए तहसील व जिला अनूपगढ़।
3. राधादेवी पत्नी भंवराराम जाति नायक निवासी चक 15 सीडब्ल्यूबी फुलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
4. गीतादेवी पुत्री भंवराराम जाति नायक निवासी चक 15 सीडब्ल्यूबी फुलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील–

1. श्री तिलकराज चुघ – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रवि बलाना – अप्रार्थीगण 01 व 02 की ओर से

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 09.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता भंवराराम पुत्र पोलाराम के नाम से वाके चक 12 एल एस एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.29 पं.न.313 / 375 का किला नं. 1 / 1 में 0.228, 1 / 2 में 0.025 खाला, 2 / 1 में 0.228, 2 / 2 में 0. 025 खाला, 3 / 1 में 0.228, 3 / 2 में 0.025 खाला, 4 / 1 में 0.227, 4 / 2 में 0.026 खाला, 5 / 1 में 0.227, 5 / 2 में 0.026 खाला, 6 ता 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.783 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता भंवराराम पुत्र पोलाराम का देहान्त दिनांक 14.10. 2021 को हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता भंवराराम ने अपने जीवनकाल में दो शादीयां की थी एक शादी भंवराराम ने अप्रार्थी सं. 1 परमी उर्फ परमेश्वरी के साथ की थी अप्रार्थी सं. 1 व भंवराराम के ससंर्ग से एक पुत्री अप्रार्थी सं.

2 तुलसी पैदा हुई थी तथा भंवराराम ने दूसरी शादी प्रार्थीगण की माता राधा यानि अप्रार्थी सं. 3 के साथ की थी जिससे भंवरारामं के तीन पुत्र प्रार्थीगण क्रमशः शंकरलाल, पूर्णराम व अर्जनराम व एक पुत्री गीता अप्रार्थी सं. 4 पैदा हुई है इस प्रकार मृतक खातेदार भंवराराम के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 विधिक एवं जायज वारिसान है। मुल खातेदार भंवरारामं के देहान्त उपरांत उक्त कृषि भूमि उसके समस्त सात विधिक वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 व 4 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा हक व हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का भी 1/7 हक व हिस्सा बनता है तथा विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के सयुक्तं अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करते है कि कालान्तर में प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी सं.1 के मध्य तनाव पैदा हो गया और अप्रार्थी सं. 1 अपनी पुत्री यानि अप्रार्थी सं. 2 सहित प्रार्थीगण के पिता भंवराराम से अलग हो गई जिस पर प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को पंचायती राजीनामा में उनके भरण पोषण के लिऐ ईकरारनामा दिनांक 21.2.1990 को लिख कर दिया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) अनूपगढ के समक्ष बअनवानी परमी उर्फ परमेश्वरी आदि बनाम भंवराराम वाद संख्या 25/2001 प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) अनूपगढ द्वारा दिनांक 16.10.2002 को किया गया। प्रार्थीगण निवेदन करते है कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 मृतक भंवराराम के विधिक वारिसान के नाते विरास्तन प्राप्त हुई है और विवादित भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 का शान्तिपुर्वक सयुक्तं कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन प्रार्थीगण एवं अन्य वारिसान को विवादित भूमि में उनका हक वा हिस्सा ना मिले, इस अनुचित मकसद से अप्रार्थी सं. 1 व 2 निर्णय दिनांक 16.10.2002 की आड में अकेले अपने नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर उक्त विवादित भूमि को अन्यंत्र खुर्द बुर्द करने व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी पैदा करने पर उतारू है यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक ईरादे मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण व अन्य वारिसान अपने हक व अधिकारो से वचिंत हो जायेगें जिससे प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त विवादित कृषि भूमि वाके चक 12 एल एस एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 29 पं.न. 313/375 का किला नं.1/1 में 0.228, 1/2 में 0. 025 खाला, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025 खाला, 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025 खाला, 4/1 में 0.227, 4/2 में 0.026 खाला, 5/1 में 0.227, 5/2 में 0.026 खाला, 6 ता 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.783 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि के किसी भू भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व उसे किसी भी प्रकार से अन्यंत्र रहन, बैचान व हस्तान्तरित करने से बाज वा ममनू रहे तथा अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत करने व करवाने से बाज वा ममनू रहे मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत बयानी होन के कारण अस्वीकार है। भंवराराम प्रार्थीगण का पिता नहीं है।भंवराराम ने एक ही शादी की थी जो अप्रार्थीगण सं. 1 से की थी तथा अप्रार्थीगण सं. 2 भंवराराम की पुत्री है।प्रार्थीगण की माता राधा भंवराराम की पत्नी नहीं है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 भंवराराम के फर्जी वारीसान बन कर उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का ही है। भंवराराम द्वारा अप्रार्थीगण का भरण पोषण नहीं करने पर सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष पेश हुआ जो अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में डिक्री फरमाया गया जिसकी अपील भंवराराम ने सिविल न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो खारिज फरमा दी गयी।विवादित 11 बीघा भूमि भंवराराम अपने जीवनकाल में ही भरण पोषण की ऐवज में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को प्रदान कर दी गई थी जिसका ईकरारनामा व शपथ पत्र संलग्न जवाब पेश है।

3. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अतिरिक्त कथन किया कि भंवराराम द्वारा विवादित कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 भरण पोषण की ऐवज में जरिये पंचायत राजीनामा दिनांक 21.02.11990 को प्रदान कर दी थी जिसे प्रार्थीगण ने अपने दावा में स्वीकार किया है। माननीय सिविल

2-

न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2002 के विरूद्ध 11.09.2019 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रस्तुत भंवराराम का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया है। दिनांक 16.10.2002 का आदेश अंतिम हो चुका है जिससे सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को कृषि भूमि का मालिक माना गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत यदि कोई सम्पति भरण पोषण हेतु स्त्री को प्रदान की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण स्वामित्व की सम्पति बन जाती है तथा उस पर उसका एकमात्र अधिकार रहता है। इसलिये अन्य कोई भी तथाकथित वारिस कृषि भूमि में से कोई हित व अधिकार नहीं ले सकता तथा तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के नाम से विरास्तन इंतकाल करने के आदेश प्रदान किये गये थे जो उचित व वैद्य है। माननीय न्यायालय उक्त दावा को सुनने का कोई श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं रखते हैं। अतः प्रार्थना पत्र व दावा काबिले निरस्ती के है।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी द्वारा दौराने बहस अवगत करवाया की वादिया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक की प्रथम वारिस है। अतः तावाद अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पुख्ता किये जावें। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस अवगत करवाया कि की अप्रार्थी सं. 1 मृतक की प्रथम पत्नी है और वही एकमात्र विधिक वारिस है। यदि वादिया मृतक भंवराराम की दूसरी पत्नी है तो दूसरी शादी हिन्दू अधिकारिता अधिनियम के तहत अवैध है। यदि अप्रार्थीगण सं. 3 मृतक की विधिक वारिस है तो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी वारिसनामा पेश नहीं किया है। वकील अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की रूलिंग प्रस्तुत की। प्रार्थीगण द्वारा मृतक भंवराराम के विधिक वारिसान होने के सबूत के तौर पर रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत की है। तथा बताया कि पटवारी हल्का वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने का सक्षम प्राधिकारी नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे। वकील प्रार्थीगण की ओर से भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा भी कोई वारिसनामा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अप्रार्थीगण को विधिक वारिस साबित किया जा सके।

5. चूंकि पटवारी एक लोक सेवक है अतः उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में मृतक की दो पत्नीयां होने के तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के उक्त विवादित कृषि भूमि वाके चक 12 एल एस एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 29 पं.न. 313/375 का किला नं.1/1 में 0.228, 1/2 में 0. 025 खाला, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025 खाला, 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025 खाला, 4/1 में 0.227, 4/2 में 0.026 खाला, 5/1 में 0.227, 5/2 में 0.026 खाला, 6 ता 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.783 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के विधिक अधिकारों का हनन होगा और अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण भूमि पर वर्तमान में काबिज हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के पक्ष में हैं प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। भूमि में प्रार्थी का हिस्सा निहित हैं या नहीं का निश्चय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर किया जाना हैं।

–:: आदेश ::–

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 अस्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक **02.11.2023** को खारिज फरमाया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़